



97



॥ श्री ॥

निगरानी प्रकरण क्रमांक

प्रस्तुति दिनांक/09/2018

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर

म.प्र. ग्वालियर के न्यायालय में

लिखित- ५८८८/२०१८/इन्डै/२। श्रू. २।

1. श्री शेख मो. सलीम पिता श्री शेख मो. युनुस,
2. श्री शेख मो. इमरान पिता श्री शेख मो. युनुस,
दोनों निवासी:- 5/1, नंदलालपुरा, हन्दौर (म.प्र.)

.....आवेदकगण

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला हन्दौर (म.प्र.)
पता:- प्रशासनिक संकुल, मोती तबेला,
जिला हन्दौर, (म.प्र.)
2. अनुविभागीय अधिकारी महोदय,
डॉ. अम्बेडकर नगर, तहसील महू,
जिला हन्दौर, (म.प्र.)
3. श्री शंकर पिता श्री शोभाराम,
निवासी:- शिव नगर, तहसील महू,
जिला हन्दौर, (म.प्र.)
4. श्री निहालसिंह पिता श्री रुगनाथ,
5. श्री मेघाजी पिता श्री गणेशजी कीर,
6. श्री कैलाश पिता श्री रतन काढी,
7. श्री सुधीर पिता श्री रतन काढी,
क्रमांक ०४ से ०७ निवासी:- ग्राम चिखली,
टप्पा सिमरोल, तहसील महू, जिला हन्दौर, (म.प्र.)

श्री एम पटेल
हाथ आज ११-९-१८ को
प्रस्तुति प्रारंभिक तरीके हैं
दिनांक ३-१०-१८ नियरा।

प्रारंभिक तरीके
प्रस्तुति मध्यस्थ तरीके प्रारंभिक
दिनांक ११-९-१८

.....अनावेदकगण

अधिरत.....(2)

!! 2 !!

// निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता
1959 के अंतर्गत //

श्रीमान् कलेक्टर महोदय, जिला इन्डौर के द्वारा जारी कारण
बताओं सूचना पत्र क्रमांक 166/क.री./2018 दिनांक
01/09/2018 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित
आधारों पर प्रस्तुत है :-



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5555/2018/इंदौर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-9-2018	<p>आवेदकगण की ओर से श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक एवं अनावेदक शासन की ओर से श्री कमल जैन, शासकीय अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष के अभिभाषकों को ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदकगण की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला इंदौर द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 166/क.री./2018 दिनांक 1-9-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा कलेक्टर ने उक्त कारण बताओ सूचना पत्र पट्टेदारों द्वारा प्रश्नाधीन शासकीय भूमि बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के विक्रय किये जाने जाने से म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 (7) (बी) के प्रावधानों का उल्लंघन होने से जारी किया है । प्रकरण में अभी कलेक्टर द्वारा केवल कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, जहां आवेदकगण को कलेक्टर के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है । चूंकि कलेक्टर द्वारा अभी कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, केवल कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, जिसमें इस स्तर पर हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p> 	